मध्य प्रदेश मदरसा बोर्ड

"तालीम घर" इस्लामी गेट, शाहजहांनाबाद, भोपाल - 462001

क्र/म.प्र.म.बो./मदरसा–प्रकोष्ठ/2025/1061 भोपाल, दिनांक 16/05/2025

प्रति,

समस्त मदरसा प्रबंधक,
मध्यप्रदेश।

मदरसा मान्यता नवीनीकरण
सत्र 2025–26

विषयः– शिक्षा सत्र 2025–26 में मदरसों की मान्यता के नवीनीकरण हेतु आवेदन करने की सम्पूर्ण प्रक्रिया की जानकारी एवं दिशा–निर्देश।

मध्यप्रदेश मदरसा बोर्ड, भोपाल से मान्यता प्राप्त समस्त मदरसों के प्रबंधकों को सूचित किया जाता है कि शिक्षा सत्र 2025–26 में मदरसों की मान्यता के नवीनीकरण हेतु ऑनलाईन आवेदन करने की सुविधा एम.पी. ऑनलाईन के पोर्टल पर दिनांक **23.05.2025 से 30.06.2025 तक** के लिए उपलब्ध कराई जा रही है। जिसके अंतर्गत जून–2025 तक मान्यता प्राप्त मदरसे अपनी मान्यता के नवीनीकरण के लिए ऑनलाईन आवेदन कर सकेंगे। इसके अतिरिक्त सत्र 2024–25 तक जिन मदरसों की मान्यता का नवीनीकरण किसी कारण से नवीनीकृत नही हो सका था, ऐसे मदरसे भी सत्र 2025–26 में नवीनीकरण हेतु निर्धारित शुल्क जमा करते हुए अपनी मान्यता के नवीनीकरण हेतु आवेदन कर सकेंगे। आवेदन करने के पात्र मदरसे एवं आवेदन करने से पूर्व एवं आवेदन करने के पश्चात की सम्पूर्ण प्रक्रिया दिशा–निर्देशों सहित निम्नानुसार है–

(अ) <u>मान्यता के नवीनीकरण हेतु मुख्य बिन्दुः–</u>

1– बोर्ड कार्यकारिणी के निर्णयानुसार मदरसों की मान्यता के नवीनीकरण में किन्ही कारणों से गेप की अवधि केवल 3 सत्रों तक की मान्य की जा सकेगी यदि तीसरे सत्र में भी मान्यता नवीनीकरण हेतु नियमानुसार आवेदन बोर्ड में प्राप्त नही होता तो ऐसी स्थिति में मदरसा संचालित नही है, माना जाकर कार्यालयीन रिकार्ड से पृथक कर पोर्टल पर लॉक किये जाने का पात्र होगा।

2– ऐसे मदरसे यदि पुनः स्थापित होना चाहें तो नवीन मदरसा पंजीयन प्रक्रिया के अंतर्गत नए पंजीयन के साथ स्थापित हो सकेंगे परंतु उन्हें किसी भी प्रकार की वरिष्ठता प्रदान नही की जा सकेगी।

3– मदरसों की मान्यता के नवीनीकरण की प्रक्रिया में मदरसों के संचालन–सत्यापन संबंधी निरीक्षण प्रतिवेदन जिला शिक्षा अधिकारी के माध्यम से अनुशंसा सहित मदरसा बोर्ड कार्यालय में प्राप्त होने पर ही मान्यता का नवीनीकरण जारी किया जाएगा।

4– शिक्षा पोर्टल पर मदरसे का यू–डाईस कोड मेप होना अनिवार्य है साथ ही मदरसे में अध्ययनरत छात्र–छात्राओं की SSSMID भी मदरसे से मेप होना अनिवार्य रहेगी।

5– मदरसे द्वारा यू–डाईस पोर्टल से डाउनलोड मदरसे की यू–डाईस पुस्तिका के प्रथम पृष्ठ की स्वः प्रमाणित प्रति एवं स्वीकृति (Acknowledgement) की जानकारी मदरसा बोर्ड में एवं जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में अनिवार्यतः जमा करना होगा।

6– मदरसे द्वारा समग्र शिक्षा पोर्टल से डाउनलोड यू–डाईस कोड के माध्यम से विद्यार्थियों की मैप्ड SSSMID की कक्षावार सूची मदरसा बोर्ड एवं जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में अनिवार्यतः जमा करना होगी। इस सूची के आधार पर ही मदरसों में अध्यनरत विद्यार्थियों की जानकारी बोर्ड के रिकार्ड में संधारित की जाएगी एवं समय–समय पर वरिष्ठ कार्यालयों को उपलब्ध कराई जाएगी।

(ब) <u>मदरसे के संचालन हेतु आवश्यक मान एवं मानकः–</u>

- <u>आवश्यक अधोसंरचना</u>

1. मदरसा भवन पर 5 X 3 वर्ग फिट के बोर्ड लगवायें जिसका प्रारूप मदरसों को जारी किए गए मान्यता प्रमाण–पत्र के पीछे अंकित है। अंकित प्रारूप के अनुसार मदरसे का बोर्ड आम जनों एवं निरीक्षणकर्ता की

निरन्तर...2 पर

दूरभाष : परीक्षा कक्ष : 0755-2737362, मदरसा कक्ष: 0755-2735931, स्थापना : 0755-2731437, वेबसाइट: www.mpmb.org.in, ई मेल: mpmadarsaboard@gmail.com

सुविधा हेतु मदरसा भवन में उचित स्थान पर लगाया जाना अनिवार्य है।

2. मदरसा भवन सुरक्षा मानकों का पालन करता हो अर्थात सुरक्षा की दृष्टि से पूर्णतः सुरक्षित हो। उदाहरणतः मदरसे में क्रियाशील स्थिति में अग्नि सुरक्षा उपकरण (Cease fire-Kit) एवं प्राथमिक उपचार किट (First Aid Kit) इत्यादि उपलब्ध होना अनिवार्य है।
3. मदरसा में कक्षाओं के संचालन हेतु आवश्यक कक्ष एवं कार्यालय/प्रधानाध्यापक कक्ष होना अनिवार्य है।
4. यदि मदरसे में मध्यान्ह भोजन सुविधा प्रदान की जाती है तो स्वच्छ बर्तन, भोजनालय सह भण्डार कक्ष उपलब्ध होना अनिवार्य है।
5. मदरसे का स्वंय का भवन होने की स्थिति में भवन–भूमि के दस्तावेज़ होना अनिवार्य है।
6. किराए के भवन होने की स्थिति में 3 वर्ष के लिए किरायेदारी का रजिस्ट्रीकृत अभिलेख होना अनिवार्य है।

- **मदरसा में उपलब्ध अन्य आवश्यक सुविधायें:–**

1. मदरसे में सभी सुविधाओं तक पहुंच, बाधा रहित होना अनिवार्य है।
2. मदरसे में पर्याप्त पठन–पाठन सामग्री उपलब्ध होना अनिवार्य है।
3. मदरसे में स्वच्छ पेयजल (साफ पीने का पानी) होना अनिवार्य है।
4. भारतीय प्रसाधन (Indian Toilet) होना अनिवार्य है।
5. मदरसे में बालक,बालिकाओं एवं दिव्यांगों के लिए प्रसाधन प्रति 50 छात्र/छात्रा पर होना अनिवार्य है।
6. मदरसे के छात्र–छात्रा की पृथक–पृथक बैठने के लिए पर्याप्त फर्नीचर अनिवार्य है।

- **मदरसा शिक्षक एवं प्रधानाध्यापकः–**

1. मदरसे में अरबी एवं इस्लामिक शिक्षण के लिए छात्र संख्या के मान से हाफिज़/आलिम उपाधि का शिक्षक होना आवश्यक है।
2. मदरसे में राज्य शासन के निर्धारित पाठ्यक्रम को पढ़ाये जाने हेतु स्नातक/स्नातकोत्तर (Graduate/Post Graduate) शिक्षक अथवा प्रशिक्षित शिक्षक होना आवश्यक है।
3. मदरसा शिक्षकों की प्रमाणित सूची एवं उनकी शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण–पत्र और वह किस विषय को पढ़ाते है कि विस्तृत जानकारी आवेदन के साथ संलग्न करना होगी।
4. मदरसे में पूर्ण कालिक प्रशिक्षित प्रधानाध्यापक होना अनिवार्य है।

(स) मदरसे द्वारा मान्यता आवेदन करने की प्रक्रिया निम्नानुसार है:–

1. एम.पी. ऑनलाईन के अधिकृत पोर्टल के माध्यम से मदरसे की मान्यता के नवीनीकरण हेतु ऑनलाईन आवेदन किया जाएगा।
2. ऑनलाईन आवेदन में दी जाने वाली जानकारी का विशेष ध्यान रखे, जानकारी सही व पूरी ज़िम्मेदारी से भरी जावे।
3. ऑनलाईन आवेदन में अपलोड किये जाने वाले दस्तावेज़ (समिति अध्यक्ष का आई–डी प्रूफ, समिति पदाधिकारियों की जानकारी, मदरसा भवन के दस्तावेज़/किरायानामा, मदरसे का बोर्ड सहित फोटो, मदरसे के यू–डाईस पुस्तिका का प्रथम पृष्ठ एवं मदरसा छात्र/छात्राओं की SSSMID की डाउनलोड प्रति) की प्रतियॉं साफ व स्वच्छ होना अनिवार्य है, किसी भी प्रकार से कूटरचित दस्तावेज़ मान्य नही है।
4. ऑनलाईन आवेदन सह शुल्क अपलोड होने के पश्चात कियोस्क धारक से आवेदन का कवरिंग लेटर सहित प्रिंट–आउट 3 प्रतियों में प्राप्त करें।
5. ऑनलाईन आवेदन में मदरसे की ओर से कवरिंग लेटर का फॉरमेट की एक प्रति जिला शिक्षा अधिकारी के नाम से एवं एक प्रति सचिव, म.प्र. मदरसा बोर्ड के नाम से जनरेट कराई गई है, आवेदक दोनो कवरिंग लेटर प्राप्त कर उसमें अंकित दस्तावेज़ों के 3–3 सेट तैयार करेंगे जिसमें से एक सेट अपने जिले के जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में एवं एक सेट मदरसा बोर्ड कार्यालय में अनिवार्यतः प्रेषित करेंगे।
6. मदरसों की मान्यता के नवीनीकरण की प्रक्रिया में मदरसों के संचालन–सत्यापन संबंधी निरीक्षण प्रतिवेदन जिला शिक्षा अधिकारी के माध्यम से अनुशंसा सहित मदरसा बोर्ड कार्यालय में प्राप्त होने पर ही मान्यता का नवीनीकरण जारी किया जाएगा। इस हेतु ऑनलाईन आवेदन पश्चात जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में आवेदन सह दस्तावेज़ों सहित एक सेट जमा कर प्राप्ति (Receiving) लेना अनिवार्य है।
7. मदरसा प्रबंधक को जिले के जिला मदरसा प्रभारी के सतत् संपर्क में रहकर अपने मदरसे का निरीक्षण/संचालन–सत्यापन कराना अनिवार्य होगा।

निरन्तर...3 पर

(स) समस्त प्रकार के मदरसों की मान्यता के नवीनीकरण हेतु निर्धारित शुल्क का विवरणः–

1. मदरसों को 3 सत्रों (2025–28) के लिए एकजाई मान्यता का नवीनीकरण जारी किया जाएगा जिसमें प्रति सत्र राशि रू. 1500/– के मान से नवीनीकरण शुल्क देय होगा।
2. शिक्षा सत्र 2024–25 तक जिन मदरसों की मान्यता किन्ही कारणों से नवीनीकृत नही हो सकी थी, ऐसे मदरसे भी सत्र 2025–26 में निर्धारित शुल्क के अतिरिक्त गेप अवधि का शुल्क प्रति सत्र 1500/– के मान से जमा करते हुये आवेदन कर सकेंगे।
3. जिन मदरसों द्वारा सत्र 2022–25 में ऑनलाईन आवेदन किया गया था परंतु प्रस्ताव/आवेदन अपूर्ण होने के कारण मान्यता का नवीनीकरण नही करा सके, ऐसे मदरसों द्वारा पूर्व में देय शुल्क राशि रू. 1000/– प्रति सत्र के मान से समायोजित की गई है केवल वर्तमान निर्धारित शुल्क राशि रू. 1500/– के अनुसार शेष राशि (1500–1000) रू. 500/प्रति सत्र के मान से अतिरिक्त भुगतान कर आवेदन कर सकेंगे। शुल्क तालिका निम्नानुसार है–

आवेदन का प्रकार	निर्धारित शुल्क	जारी मान्यता की अवधि
सामान्य आवेदन (2025–26 से 2027–28 तक) सत्रों के लिए	रू. 4500/–	शिक्षा सत्र 2025 से 2028 तक
सत्र 2022–25 में आवेदन करने उपरांत प्रस्ताव लंबित/अपूर्ण एवं आगामी सत्रों के लिए नवीनीकरण हेतु आवेदन का नवीन निर्धारित शुल्क अनुसार पिछले शेष राशि रू. 500/– के मान से 3 सत्रों की शेष राशि रू. 1500 सहित सामान्य शुल्क	रू. 6000/– (1500+4500)	शिक्षा सत्र 2022 से 2028 तक
गेप अवधि सहित आवेदन (2022–23 से 2027–28 तक) 6 सत्रों हेतु	रू. 9000/– (4500+4500)	शिक्षा सत्र 2022 से 2028 तक

अन्य दिशा–निर्देश इस प्रकार है–

1. मदरसे में किसी भी प्रकार का परिवर्तन/तबदीली तभी मान्य होगी जब वह निर्णय मदरसा प्रबंध समिति में पारित होगा और बोर्ड को इसकी विधिवत् सूचना उसी दौरान दी गई होगी।
2. मदरसे का नवीनीकरण 3 सत्रों के लिए जारी किया जाता है। ऐसे में बोर्ड द्वारा मदरसे की कक्षा स्तर वृद्धि एक साथ जारी की जाती है लेकिन मदरसा प्रति सत्र केवल 1 ही कक्षा की वृद्धि कर विद्यार्थियों को प्रवेश दे सकेगा।
3. मदरसा मान्यता नवीनीकरण के आवेदन की प्रक्रिया लोक सेवा गारंटी अधिनियम, 2010 में अधिसूचित है और बोर्ड इस सेवा से प्राप्त आवेदन पर एक निश्चित अवधि में कार्यवाही करने हेतु प्रतिबद्ध है अतः ऑनलाईन आवेदन पश्चात उसकी हार्ड–कॉपी सम्पूर्ण दस्तावेजो सहित अविलम्ब मदरसा बोर्ड एवं जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में जमा करने का दायित्व मदरसा प्रबंधक का रहेगा।
4. मदरसे से संपर्क हेतु मदरसा प्रबंधक अपना ही मोबाईल नम्बर आवेदन में डालें जिससे समय–समय पर मदरसे से संबंधित जानकारी हेतु SMS भेजा जा सके अथवा संपर्क किया जा सके।

अतः उक्तानुसार मदरसे की मान्यता के नवीनीकरण की कार्यवाही करें। आवेदन निर्धारित तिथियों के भीतर करना सुनिश्चित करें।

(देव भूषण प्रसाद) 16/5/25
अपर संचालक
राज्य शिक्षा केन्द्र एवं
सचिव, म.प्र. मदरसा बोर्ड, भोपाल

निरन्तर...4 पर

मध्य प्रदेश मदरसा बोर्ड

"तालीम घर" इस्लामी गेट, शाहजहांनाबाद, भोपाल - 462001

पृ.क्र / म.प्र.म.बो. / मदरसा–प्रकोष्ठ / 2025 / 1062 भोपाल, दिनांक 16/05/2025

प्रतिलिपिः–

समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, म.प्र. की ओर भेजकर लेख है कि उक्त कार्यक्रम की सूचना का प्रचार–प्रसार अपने जिले के लोकप्रिय समाचार पत्र के माध्यम से करायें एवं जिला मदरसा प्रभारियों के माध्यम से जिले में संचालित समस्त मदरसों को इसकी जानकारी उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित करें तथा की गई कार्यवाही से मदरसा बोर्ड को अवगत् करायें।

(देव भूषण प्रसाद)
अपर संचालक
राज्य शिक्षा केन्द्र एवं
सचिव, म.प्र. मदरसा बोर्ड, भोपाल

दूरभाष : परीक्षा कक्ष : 0755-2737362, मदरसा कक्ष: 0755-2735931, स्थापना : 0755-2731437, वेबसाइट: www.mpmb.org.in, ई मेल: mpmadarsaboard@gmail.com